

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी जिल्ला

दिलीपराम उर्फ जगदीशसिंह

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दावा 171 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.10.2023	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.2023 को पेश हो।	
19/10/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7/11/23 को पेश हो।	
7/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 1/12/23 को पेश हो।	
18/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/12/23 को पेश हो।	
29/12/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/1/24 को पेश हो।	
16/1/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपास्चित एवं वादी आछिवक्ता भी अनुपास्चित। न्यायालय समय में कक-कककर आवाजे लगावाई गई परन्तु ना तो	

(मन)
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	लय : स /प्रार्थना प ांक आज्ञा कार्यवाही
		<p>वादी उपस्थित हुए ना ही वादी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवा मे खारिज किया जाता है। पगावली नम्बर से कम घेकर दाखिल दफ्तर है।</p> <p><u>mmj</u></p>	